

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवाँ जिला बून्दी(राज0)

वाद पत्र संख्या :- 82 / 2020
GCM5 NO:- 2020/00178

दाखर दिनांक: 22.07.2020

वादाधीन अधिकारी :- श्री सन्तुष सिंह गुजर (आर.ए.एस)

1.शोकरण पुत्र कवरा जाति गीणा निवासी ग्राम रतनगंज तहसील नैनवाँ जिला बून्दी।

-वादी

बनाम

1. रामप्रसाद पुत्र हरनाथ जाति गीणा निवासी ग्राम पाई तहसील नैनवाँ जिला बून्दी।
2. रामप्रसादी पुत्री हरनाथ जाति गीणा निवासी ग्राम पाई तहसील नैनवाँ जिला बून्दी।
3. संतरा पुत्री हरनाथ जाति गीणा निवासी ग्राम पाई तहसील नैनवाँ जिला बून्दी।
4. कमला पुत्री हरनाथ जाति गीणा निवासी ग्राम पाई तहसील नैनवाँ जिला बून्दी।
5. हरपाली पत्नि हरनाथ जाति गीणा निवासी ग्राम पाई तहसील नैनवाँ जिला बून्दी।
6. गनी बाई पत्नि रामप्रसाद जाति गीणा निवासी ग्राम पाई तहसील नैनवाँ जिला बून्दी।
7. रामसाहाय पुत्र लादू जाति गीणा निवासी ग्राम रतनगंज तहसील नैनवाँ जिला बून्दी।
8. सीमा पुत्री लादू जाति गीणा निवासी ग्राम रतनगंज तहसील नैनवाँ जिला बून्दी।
9. रामसाहणी पुत्री लादू जाति गीणा निवासी ग्राम रतनगंज तहसील नैनवाँ जिला बून्दी।
10. भूनिधारी जय तहसीलदार साहव, नैनवाँ तहसील नैनवाँ जिला बून्दी।

—प्रतिवादीगण

वाद पत्र:- अंतर्गत धारा 53, 188 आर.टी एक्ट

उपस्थिति:-

1. वादीगण के अभिभाषक श्री शंकरलाल शर्मा।
2. प्रतिवादीगण के अभिभाषक श्री नरेश कुमार गीणा।

निर्णय दिनांक 02.09.2022

संक्षेप में वाद पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम पाई पटवार हल्का फूलेता मू० अभिलेख क्षेत्र मुद्दादेवजी तहसील नैनवाँ जिला बून्दी राज० की जमाबंदी खाता संख्या नया 113 व पुराना 114 सम्वत् 2075 से 2078 कि भूमि खसरा संख्या 526 रकबा 7 बीघा 07 बिरवा, खसरा संख्या 527 रकबा, 1 बीघा 15 बिरवा, खसरा संख्या 529 रकबा 02 बिरवा, खसरा संख्या 522, 531 रकबा 03 बीघा कुल कित्ता कुल रकबा 12 बीघा 12 बिरवा जमीन वादी व प्रतिवादीगण की सामंती खातेदारी में स्थित है। जिसका अभी तक विधिवत विभाजन नहीं किया गया है। वादपत्र पर बहस रुकी जाकर दिनांक 15.11.2021 को वाद प्राथमिक लिफ्टी किया गया तथा तहसीलदार नैनवाँ को बंटवारा पालना रिपोर्ट हेतु लिखा गया। तहसीलदार नैनवाँ से बंटवारा हेतु पालना रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार नैनवाँ से प्राप्त बंटवारा रिपोर्ट दिनांक 10.08.2022 के अनुसार पदाकारण का हिरसा निम्नानुसार रहेगा-

1. शोकरण पि० कवरा गीणा नि० पाई

खसरा संख्या	रकबा (हेक्टेयर में)	किस्म
526 / 1	0.4045	बारानी 4
कुल कित्ता-1	कुल रकबा 0.4045	

2. कमला पुत्री हरनाथ हिरसा 85 / 2020, फोरी पुत्री हरनाथ हिरसा 85 / 2020, मु. मून्दी पत्नी स्व० कवरा गीणा हिरसा 50 / 202, मु. हरपाली पत्नी हरनाथ हिरसा 85 / 2020, मन्साबई पत्नी रामप्रसाद गीणा हिरसा 50 / 202, रामसाणी पुत्री लादू गीणा हिरसा 17 / 202, रामसाहाय पुत्र हरनाथ गीणा हिरसा 85 / 2020, रामप्रसादी पुत्री हरनाथ गीणा हिरसा 85 / 2020, रामसाहाय पुत्र लादू गीणा हिरसा 17 / 202, संतरा पुत्री हरनाथ हिरसा 85 / 2020, सीमा पुत्री लादू गीणा हिरसा 17 / 202 निवासी ग्राम पाई

खसरा संख्या	रकबा (हेक्टेयर में)	किस्म



526/2	0.7847	बारानी 4
527	0.2832	बारानी 4
529	0.0162	गै0मु0खड्डा
822/531	0.4854	बारानी 4
कुल किता-4	कुल रकबा 1.5695 हेक्टेयर	

हमने वाद पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत रिकॉर्ड दस्तावेज, बंटवारा रिपोर्ट का अवलोकन किया तथा वाद पत्र में बहस सुनी गयी। वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है। बंटवारा प्रस्ताव के अनुसार वाद अंतिम डिकरी किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। ग्राम पाई पटवार हल्का फूलेता भू0 अभिलेख क्षेत्र गुढादेवजी तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0 की जमाबंदी खाता संख्या नया 113 व पुराना 114 सम्वत् 2075 से 2078 कि भूमि खसरा संख्या 526 रकबा 7 बीघा 07 बिस्वा, खसरा संख्या 527 रकबा, 1 बीघा 15 बिस्वा, खसरा संख्या 529 रकबा 02 बिस्वा, खसरा संख्या 822/531 रकबा 03 बीघा कुल किता कुल रकबा 12 बीघा 12 बिस्वा भूमि का बंटवारा निम्नानुसार किये जाने के आदेश दिये जाते हैं-

1. शोकरण पि0 कंवरा मीणा नि0 पाई

खसरा संख्या	रकबा (हेक्टेयर में)	किस्म
526/1	0.4045	बारानी 4
कुल किता-1	कुल रकबा 0.4045	

2. कमला पुत्री हरनाथ हिस्सा 85/2020, फोरी पुत्री हरनाथ हिस्सा 85/2020, मु. फून्दी पत्नी स्व0 कंवरा मीणा हिस्सा 50/202, मु. हरपाली पत्नी हरनाथ हिस्सा 85/2020, मन्नीबाई पत्नी रामप्रसाद मीणा हिस्सा 50/202, रामघणी पुत्री लादू मीणा हिस्सा 17/202, रामप्रसाद पुत्र हरनाथ मीणा हिस्सा 85/2020, रामप्रसादी पुत्री हरनाथ मीणा हिस्सा 85/2020, रामसहाय पुत्र लादू मीणा हिस्सा 17/202, संतरा पुत्री हरनाथ हिस्सा 85/2020, सीमा पुत्री लादू मीणा हिस्सा 17/202 निवासी ग्राम पाई

खसरा संख्या	रकबा (हेक्टेयर में)	विवरण
526/2	0.7847	बारानी 4
527	0.2832	बारानी 4
529	0.0162	गै0मु0खड्डा
822/531	0.4854	बारानी 4
कुल किता-4	कुल रकबा 1.5695 हेक्टेयर	

नजरी नक्शा बंटवारा प्रस्ताव को परिशिष्ट "क" नाम दिया गया है, जो इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादी के विभाजन से हिस्से में आयी भूमि पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप न तो स्वयं करें न ही किसी से करवायें। तहसीलदार नैनवां को डिकरी पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 02.09.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(शत्रुघ्न सिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
नैनवाँ